



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, शुक्रवार 27 मई, 2011 / 6 ज्येष्ठ, 1933

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 26 मई, 2011

**संख्या : एल0एल0आर0-डी0(6)-12/2011-लेज.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-5-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 11) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 31 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,  
अवतार चन्द डोगरा,,  
प्रधान सचिव (विधि),  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

**हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास  
(संशोधन) अधिनियम, 2011**

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 24 मई, 2011 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**1. संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

**2. धारा 12-क का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12-क में,—

(क) उप धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iii) में, “सत्तर” शब्द के स्थान पर “बीस” शब्द रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (iv) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(iv) पचास प्रतिशत सोने को, सोने के बिस्कुटों या सिक्कों में परिवर्तित किया जाएगा और उनका तत्समय विद्यमान चालू बाजार कीमत पर श्रद्धालुओं तथा तीर्थ यात्रियों को विक्रय किया जाएगा।”; और

(ख) उपधारा (2) में खण्ड (iv) और (v) का लोप किया जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 31 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS  
INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS  
(AMENDMENT) ACT, 2011

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH MAY, 2011)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Act, 2011.

**2. Amendment of section 12-A.**—In section 12-A of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984, (18 of 1984)—

(a) in sub-section (1), in clause (A), in sub-clause (iii), for the figures “70”, the figures “20” shall be substituted and thereafter, the following new sub-clause (iv) shall be inserted, namely:—

“(iv) 50% gold shall be converted into gold biscuits or coins and shall be sold to the devotees and pilgrims on the current prevailing market price.”; and

(b) in sub-section (2), clauses (iv) and (v) shall be omitted.